



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2009/समुकाअ/चिप्स/2024

रायपुर, दिनांक 16/01/2024

प्रति,

उप निदेशक

इन्द्रावती टाइगर रिजर्व,

बीजापुर (छत्तीसगढ़).

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बीजापुर जिला के इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि रकबा 5.880 हे. के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत उपयोग पर देने बाबत। पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/45471/2020

- संदर्भ : 1. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2023/10-2 दिनांक 27/12/2023।  
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध-ए/115-869/64 नवा रायपुर दिनांक 28/01/2024।  
3. आपका पत्र क्र /मा. चि./117, बीजापुर दिनांक 10/01/2024।

-00-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बीजापुर जिला के इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर अंतर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2" के तहत 117.592 कि.मी. लम्बे तथा 0.50 मी. चौड़े वन क्षेत्र कुल रकबा 5.880 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.051 हे., संरक्षित वन भूमि 1.241 हे. नारंगी वन क्षेत्र 3.485 हे., राजस्व वन भूमि 0.103 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन आरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है -

1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-1 संलग्न
2.	(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा 5.880 है, वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा महासमुंद वनमंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के ग्राम बरोंडाबाजार में 5.880 हे, तथा ग्राम भलेसर में 10.802 हे. कुल 16.682 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा। (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-2 संलग्न

3.	उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-3 संलग्न
4.	(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी। (ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-4 संलग्न
5.	परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-5 संलग्न
6.	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-6 संलग्न
7.	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृदा नहीं काटे जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-7 संलग्न
8.	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पलौरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-8 संलग्न
9.	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उप निदेशक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-9 संलग्न

10.	उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-10 संलग्न
11.	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग / रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-11 संलग्न
12.	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।	शर्त से सहमत है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-12 संलग्न
13.	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-13 संलग्न
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-14 संलग्न
15.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-15 संलग्न
16.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt)] दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित / अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-16 संलग्न
17.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-17 संलग्न
18.	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, पन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-18 संलग्न
19.	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-19 संलग्न

20.	आवेदक संस्थान द्वारा विषयांकित प्रकरण में 5.777 हे. वन भूमि का कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। शेष रकबा (5.880 हे. - 5.777 हे = 0.103 हे.) हेतु कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रदाय करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-20 संलग्न
21.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-21 संलग्न
22.	सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-22 संलग्न
23.	संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-23 संलग्न
24.	मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-23 संलग्न
25.	आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-25 संलग्न
26.	कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-26 संलग्न
27.	आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन मूनिको किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-27 संलग्न
28.	Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-28 संलग्न
29.	Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-29 संलग्न
30.	No labor camp should be constructed within the Indrawati Tiger Reserve or Forest area.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-30 संलग्न
31.	Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.	शर्त मान्य है। वचन पत्र मय अनुलग्नक-31संलग्न

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों पर सहमति प्रदान करते हुए आपके समक्ष पालन प्रतिवेदन पृथक पृथक वचन पत्र 5 प्रतियों में प्रस्तुत है। प्रतिपूरक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) के संबंध में वांछित राशि के भुगतान की पावती संलग्न है। उक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे।

- संलग्न:- 1. पालन प्रतिवेदन मय 31 वचन पत्र  
2. CA & NPV की राशि भुगतान की पावती।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़



क्रमांक 2009 /समुकाअ/चिप्स/2024  
प्रतिलिपि:- A

रायपुर, दिनांक 16/01/2024

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध/व.स.अ.), अरण्य भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -1

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-1:

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़



वोसायु टोक



कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -2


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-2

- (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकया 5.880 है, वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा महासमुंद वनमंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के ग्राम बरोंडाबाजार में 5.880 हे, तथा ग्राम भलेसर में 10.802 हे. कुल 16.682 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -3


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2021/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-3:

उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।

उपरोक्त शर्त के पालन में वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 5683996.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600675001 है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़







कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -4(अ)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-4(अ) :

(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-11) दिनांक 18.09. 2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।

उपरोक्त शर्त के पालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 8,61,48,548.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600675001 है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -4(ब)

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-4(ब):

(ब) विशेषज्ञ सगिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -5


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-5:

परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।

उपरोक्त शर्त के पालन में वर्तमान दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि रु. 5683996.00 एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि रु. 8,61,48,548.00 कुल राशि रु. 9,18,32,544.00 दिनांक 16/01/2024 को कैम्पा मद में जमा किया गया है। जिसका यू.टी.आर. नंबर INDBR32024011600675001 है। (संलग्न)

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -6


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित क्र.-6:

प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है ।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -7


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-7:

ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -8


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-8:

उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के पल्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -9


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-9:

स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उप निदेशक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व / वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -10


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-10:

उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़







कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -11


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-11:

आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग /रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -12


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-12:

आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -13


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-13:

आवेदक संस्थान रखरखाय का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -14


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-14:

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर, छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -15


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-15:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर, छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -16

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-16:

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No.6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर  




कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -17


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-17:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -18


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-18:

बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर







कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -19


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-19:

क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -20


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-20:

आवेदक संस्थान द्वारा विषयांकित प्रकरण में 5.777 हे. वन भूमि का कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। शेष रकबा (5.880 हे. - 5.777 हे = 0.103 हे.) हेतु कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रदाय करेगा।

विषयांकित प्रकरण में वन भूमि का कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र रकबा 0.103 हे. संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़



**FORM-1**  
(For Linear Project)  
**Government of Chhattisgarh**  
Office of the District Collector, Bijapur

No: 30


Date: 18-01-2024

**TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that **0.103 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Bijapur district falls within jurisdiction of Bhairamgarh and Usoor Block.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **0.103 hectares** of forest area proposed for diversion. As per MoEF letter no F.No.11-9/98-FC dated 05-02-2013, the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha(s) are not applicable.
- (b) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).

  
Collector  
District- Bijapur  
(Chhattisgarh)



कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -21


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-21:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त से सहमत है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -22


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-22:

सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -23


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-23:

संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -24


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-24:

मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

अनुलग्नक -25


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-25:

आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जायेंगे।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़







कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -26


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-26:

कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -27


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-27:

आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -28


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-28:

**Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.**

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -29


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-29:

**Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project- Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.**

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -30


वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-30:

**No labor camp should be constructed within the Indrawati Tiger Reserve or Forest area.**

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़





कार्यालय चिप्स  
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़  
फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205


अनुलग्नक -31

वचन पत्र

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-55/2022/10-2  
दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रदायित सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.-31:

**Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.**

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ उक्त अधिरोपित शर्त को मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़

